तार : पर्यावरण
GRAM : PARYAVARAN

क्षेत्रीय कार्यालय
Regional Office

दूरभाष : ०५२२–२७२२२३२
Phone : 0522-2722232

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD LUCKNOW

संन्दर्भ सं० / Ref. No.: 1774 NOC-795 B/16

दिनांक / Dated: 19/7/2016

सेवा में,

मै0 एस्सार पेटोल पम्प लि0
द्वारा– श्रीमती लज्जा चतुर्वेदी,
खसरा सं0–288, 305क, 305ख, ग्राम–बनीकोडर, तहसील–रामसनेहीघाट,
जिला–बाराबंकी।

विषयः **पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र जोकि इस कार्यालय में दिनांक 21/06/16 को प्राप्त हुआ है, का संदर्भ ग्रहण करें। आपके आवेदन पत्र, अभिलेखों में दी गयी सूचनाओं एवं कराये गये स्थलीय निरीक्षण के आधार के आधार पर आपके आवेदन पत्र पर विचार किया गया। आपके प्रस्तावित स्थल खसरा सं0–288, 305क, 305ख, ग्राम– बनीकोडर, तहसील–रामसनेहीघाट, जिला–बाराबंकी पर प्रस्तावित रिटेल आउटलेट (पेट्रोल/डीजल) पम्प स्थापित किये जाने हेतु पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टिकोण से निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के साथ सशर्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाता है :–

1. उद्योग की स्थापना आवेदन पत्र पर उल्लेखित स्थल पर ही किया जायेगा। पेट्रोल 20 किली0 एवं डीजल 40 किली0 का भण्डारण भूमिगत सुरक्षित स्टील टैकों में किया जायेगा ।
2. घरेलू जल/मल के निस्तारण हेतु सेप्टिक टैंक/सोकपिट की स्थापना इकाई के संचालन से पूर्व करना सुनिश्चित किया जायें।
3. 15 केवीए के डी0जी0 सेट पर ध्वनि रोधक कैबिनेट के साथ–साथ निकटतम भवन छत से गैसीय उत्सर्जकों के निस्तारण हेतु 1.5 मी0 ऊँची चिमनी स्थापित की जायें।
4. आकस्मिक दुर्घटना/आग से निपटने हेतु कारखाना विभाग की गाइड लाइन्स के अनुरूप समुचित सुरक्षा व्यवस्था स्थापित की जाये तथा अनुमोदित प्रस्ताव की छायाप्रति तीन माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
5. परीक्षण उत्पादन से पूर्व नियमानुसार जल/वायु अधिनियम के अनुपालन में बोर्ड से सहमति जल/वायु प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायें।
6. इकाई में यथा सम्भव खाली स्थान पर त्वरित गति से बढने वाले पौधों का रोपड़ कर हरितपटिटका विकसित की जाये।
7. प्रस्तावित स्थल के खसरा सं0–288, ग्राम–बनीकोडर का भू–उपयोग प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर बोर्ड में 01 माह में जमा किया जाये।
8. रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था स्थापित की जाये।
9. यह आदेश निर्गमन तिथि से अगले 01 वर्ष हेतु विधि मान्य होगा।

उपरोक्त शर्तो का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें अन्यथा नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकती है।

भवदीय,

(कुलदीप मिश्र)
क्षेत्रीय अधिकारी